



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

15 अग्रहायण, 1946 (श०)

संख्या - 772 राँची, शुक्रवार, 6 दिसम्बर, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

8 अक्टूबर, 2024

1) संख्या-03/पद०-01(ख)-05/2014 का. 6672--उप परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पद पर पदस्थापित श्री **अनुराग लकड़ा**, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-191/20, गृह जिला-राँची), को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी सिमडेगा के पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री लकड़ा को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-14 के तहत सिमडेगा अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

2) संख्या-03/पद०-01(ख)-05/2014 का. 6673--जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावां के पद पर पदस्थापित श्री **महेन्द्र छोटन उराँव**, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 278/20, गृह जिला- गुमला), जिन्हें विभागीय अधिसूचना संख्या 6085 दिनांक 20.09.2024 के द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी सिमडेगा के पद पर पदस्थापित किया गया है, को विलोपित किया जाता है ।

ii. विलोपन के फलस्वरूप श्री उराँव जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला- खरसावां के पद पर यथावत बने रहेंगे ।

3) संख्या-03/पद०-01(ख)-05/2014 का. 6674--अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा के पद पर पदस्थापित श्री **सुमन्त तिर्की**, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 376/20, गृह जिला गढवा), को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप परीक्षा नियंत्रक झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

4) संख्या-03/पद०-01(ख)-05/2014 का. 6675--पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री **उदय रजक**, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 321/20, गृह जिला चतरा), की सेवा मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है ।

5) संख्या-03/पद०-01(ख)-05/2014 का. 6676--जिला परिवहन पदाधिकारी, सिमडेगा के पद पर पदस्थापित श्री **ओम प्रकाश यादव**, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 848/03, गृह जिला लोहरदगा), की सेवा परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए इन्हें अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, जगन्नाथपुर (पश्चिमी सिंहभूम) के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री यादव को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-14 के तहत जगन्नाथपुर अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार पासवान,
सरकार के अवर सचिव ।
